राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13561/2024

1. सुरेंद्र चौधरी पुत्र श्री खेता राम चौधरी, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 51, सारण नगर सी रोड, वीर तेजा ब्रिज के सामने, अजमेर रोड, जोधपुर।

2. लक्ष्मण राम पुत्र श्री सुजा राम, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी देवासियो का बास, बंजारा, जिला जोधपुर।

3. शुभम देवासी पुत्र श्री भंवर लाल देवासी, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी देवासियो की ढाणी, जिला जोधपुर।

4. कपिल चौधरी पुत्र श्री सांवल राम चौधरी, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम गोविंदपुरा, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

5. मनीष देवासी पुत्र श्री सुजा राम, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी मा मातेश्वरी छात्रावास, रिक्त्या भेरू जी चोराहा, जिला जोधपुर।---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर अपने अध्यक्ष, राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर के माध्यम से।

2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

3. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर।

4. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग निदेशालय, जयपुर।---- प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री विवेक फिरोदा और श्री जयराम सरन

प्रतिवादी के लिए: श्री मनीष पटेल, एएजी

श्री राकेश अरोड़ा और श्री नरेश सिंह

माननीय श्रीमान. जस्टिस विनीत कुमार माथुर

आदेश

रिपोर्ट-योग्य

11/09/2024

पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

वर्तमान रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 27.06.2024 (अनुलग्नक 10) को प्रकाशित कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के परिणाम को रद्द किया जाए और उसे रद्द किया जाए। यह भी प्रार्थना की गई है कि मेरिट सूची तैयार करते समय हटाए गए प्रश्नों के अंकों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

वर्तमान रिट याचिका के तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान दिया जाए तो याचिकाकर्ता सभी प्रकार से पात्र होते हुए भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 20.06.2023 के अनुसरण में कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के पद के लिए आवेदन किया था। परीक्षा योजना के अनुसार, प्रतियोगी परीक्षा में पेपर-I और पेपर-II नामक दो पेपर शामिल थे और प्रत्येक पेपर अधिकतम 450 अंकों का होगा। इसमें प्रावधान किया गया था कि अभ्यर्थी को प्रत्येक पेपर-I और पेपर-II में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने होंगे तथा कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करने

होंगे तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। परीक्षा योजना के अनुसार पेपर-I में छह विषय शामिल थे, अर्थात् हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर की मूल बातें, जिसमें कुल 150 प्रश्न थे, प्रत्येक विषय में 25 प्रश्न थे, इसी प्रकार पेपर-II में 150 प्रश्न थे, जिसमें बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, बिजनेस मेथड्स, ऑडिटिंग, भारतीय अर्थशास्त्र, राजस्थान सेवा नियम और जी.एफ. एंड ए.आर. पी.टी.आई. विषयों से 25 प्रश्न थे। परीक्षा आयोजित होने के बाद, उत्तरदाताओं ने पाया कि कुछ प्रश्न या तो अनुचित तरीके से पूछे गए थे या उन प्रश्नों के संबंध में कुछ भ्रम था, इसलिए, उत्तरदाताओं ने उन प्रश्नों को हटाना उचित समझा।

हटाए गए प्रश्नों के अंक उसी विषय से पूछे गए प्रश्नों में जोड़ दिए गए, जिसका अर्थ है कि यदि पेपर-I के 25 प्रश्नों में से कोई प्रश्न हटा दिया जाता है, उदाहरणार्थ - हिंदी, तो हटाए गए प्रश्न के अंक उसी विषय के शेष प्रश्नों में वितरित किए जाएंगे। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं ने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रश्नपत्रों पर निर्णय लेने तथा अंकों के समायोजन की वैधता पर आपत्ति जताते हुए यह रिट याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि हटाए गए प्रश्नों के अंकों को उसी विषय के प्रश्नों में जोड़कर अंकों की गणना करना गलत है। हटाए गए प्रश्नों को या तो कुल अंक से हटा दिया जाना चाहिए अथवा उन हटाए गए प्रश्नों के लिए बोनस अंक सभी अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाने चाहिए।

अपनी दलील को पुष्ट करने के लिए याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की जयपुर स्थित समन्वय पीठ द्वारा जितेन्द्र कुमार झालानी बनाम राजस्थान राज्य (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16800/2012)

तथा अन्य संबंधित मामलों में दिनांक 14.12.2012 को निर्णीत निर्णय तथा जयपुर स्थित खंडपीठ द्वारा रवि कुमार खंडेलवाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (डी.बी. सिविल विशेष अपील (रिट) संख्या 210/2013) में दिनांक 22.04.2014 को निर्णीत निर्णय का हवाला दिया है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रतिवादियों ने खेल के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसलिए, वह प्रार्थना करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी जाए और प्रतिवादियों को उन हटाए गए प्रश्नों के अंकों को हटाने के बाद या सभी उम्मीदवारों को बोनस अंक प्रदान करके अंकों की पुनर्गणना करने का निर्देश दिया जाए।

इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक विषय में अंकों के वितरण के मामले में समानता बनाए रखने के लिए, प्रतिवादी विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली यह है कि किसी विशेष विषय से किसी विशेष प्रश्न को हटाने के बाद, उस हटाए गए प्रश्न के अंक केवल उस विशेष विषय के प्रश्नों के अनुपात में वितरित किए जाएंगे। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि प्रत्येक विषय को प्रश्नों की विशिष्ट संख्या सौंपी गई है, इसलिए किसी विशेष विषय में किसी विशेष उम्मीदवार के ज्ञान का आकलन करने के लिए, उपर्युक्त प्रणाली को अपनाया गया है। प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने आगे कहा कि इस प्रणाली को अपनाने से याचिकाकर्ताओं को कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि प्रतिवादियों को भी किसी विशेष विषय में प्रश्नों को हटाने के परिणामों की जानकारी नहीं थी और इसलिए प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई प्रणाली को दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता।

प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12077/2019 (विनोद कुमार बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) के नेतृत्व में रिट याचिकाओं के एक बैच में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया, जिसका निर्णय 03.01.2020 को हुआ और डी.बी. विशेष अपील रिट संख्या 186/2017 (नरेन्द्र सिंह राठौड़ बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं अन्य) दिनांक 08.03.2017 को निर्णीत हुई, जिसमें प्रतिवादियों द्वारा वर्तमान मामले में अपनाई गई अंक प्रदान करने की प्रणाली विषय वस्तु थी तथा इन दोनों निर्णयों में भी उसी को अनुमोदित किया गया। अतः प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादियों ने कुछ प्रश्नों को हटाने के कारण अंक वितरण के लिए पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई है। अतः वे प्रार्थना करते हैं कि रिट याचिका को खारिज किया जाए।

मैंने बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार किया है तथा मामले के सुसंगत अभिलेख का अवलोकन किया है।

प्रतिवादियों द्वारा दिनांक 20.06.2023 को विज्ञापन जारी कर कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया अपनाई गई। परीक्षा आयोजित होने के बाद, प्रतिवादी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुछ प्रश्नों को हटाया जाना आवश्यक है और इसलिए, हटाए गए उन प्रश्नों के अंक उसी विषय के प्रश्नों में वितरित किए गए थे, जिसका प्रश्न हटाया गया था। यह भी ध्यान दिया जाता है कि चीजों की योजना में, पेपर-I और पेपर-II में छह-छह विषय शामिल थे और प्रत्येक विषय से, प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए, जो प्रश्न किसी विशेष विषय से हटाए गए थे, प्रतिवादियों ने उस हटाए गए प्रश्न के अंकों को उस विशेष विषय में समायोजित किया है, जिससे प्रश्न हटाया गया है।

इस न्यायालय की राय में, प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित है। विनोद कुमार (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ा था और इसे निम्नानुसार माना गया था:

"हटाए गए प्रश्नों से संबंधित अंकों के विषयवार वितरण के मुद्दे पर विचार करते हुए, यह देखा जाएगा कि प्रश्नपत्र को इस तरह से विभाजित किया गया था कि विषयवार प्रश्न इस प्रकार पूछे गए थे:

प्रश्न संख्या	विषय
1 से 20	बागवानी
21 से 35	हिंदी
36 से 55	कृषि विज्ञान
56 से 75	पशु
76 to 100	सामान्य ज्ञान

एक बार जब उत्तरदाताओं ने प्रश्नों को विषयवार वितरित कर दिया, तो हटाए गए प्रश्नों के अंकों को विषयवार वितरित करने में उनकी कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के लिए अधिकतम अंकों में वृद्धि के माध्यम से प्रश्नों को हटाने का लाभ विषयवार दिया जाना चाहिए, ताकि किसी विशेष विषय में विशेष प्रश्नों का प्रयास करने वाले उम्मीदवार को हटाए गए प्रश्नों के कारण नुकसान न हो। यदि हटाए गए प्रश्नों से संबंधित अंक सभी शेष प्रश्नों में समान रूप से वितरित किए जाते हैं, तो अन्य विषयों के कुल अधिकतम

अंक बढ़ जाएंगे, जिससे उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए वेटेज में बदलाव होगा, जो न्यायोचित नहीं होगा और इसलिए, इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।"

किसी विशेष विषय से प्रश्नों को हटाना और उसी विषय के शेष प्रश्नों में उनके अंकों का आनुपातिक वितरण अभ्यर्थियों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। यह पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि प्रश्नपत्र में दिया गया कोई विशेष प्रश्न हटा दिया जाएगा, क्योंकि पहले से यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कोई विशेष प्रश्न हटाया जाएगा। विवादित प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए बिना किसी पूर्वाग्रह के हटा दिए गए हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, वह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, क्योंकि उस निर्णय में ही यह माना गया था कि इसे मिसाल नहीं माना जाएगा।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रतिवादियों ने खेल के नियमों को बदल दिया है, इस आधार पर खारिज किया जाता है कि हटाए गए प्रश्नों के अंक देने के लिए प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया वर्तमान मामले में न्यायसंगत, निष्पक्ष और निष्पक्ष है।

यदि प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष और निष्पक्ष है और उसके कारण भले ही कुछ उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो न्यायालय चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के व्यापक लाभ के लिए हस्तक्षेप करने से परहेज कर सकता है।

उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका में योग्यता का अभाव है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

स्थगन आवेदन और अन्य लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(विनित कुमार माथुर),जे

(यह अनुवाद एआई टूलः SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।